न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी – संजय शर्मा

G.C.M.S. No. 2024/134

अपील संख्या 46/2024 तारीख 14.06.2024

लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री रामपाल माली निवासी हिन्दूपुरा तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर
––– अपीलार्थी

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र सुरज्ञान मीना निवासी हिन्दुपुरा तहसील बौंली हाल निवासी डिडवाडी तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर।
2. सरकार जरिये तहसीलदार बौंली।

––––– रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः–

श्री जयप्रकाश सैनी एडवोकेट – अपीलार्थी की ओर से

पैरोकार सरकार – रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

दिनांक 23.12.2025

निर्णय

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार बौंली के निर्णय दिनांक 20.06.1997 एवं नामान्तरकरण संख्या 976 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी जिसके द्वारा तहसीलदार बौंली द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में खोला गया नामान्तरकरण खारिज कर अपीलार्थी के नाम पुनः सही नामान्तकरण भरवाये जाने के आदेश तहसीलदार बौंली के नाम फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बावजूद तामील आदिनांक तक उपस्थित नहीं आए। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित आए। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश संबंधी मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। मूल नामान्तरकरण प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 20.06.1997 को नामान्तकरण संख्या 926 दिनांक 20.06.1997 को गलत तस्दीक करके कानून का उल्लंघन किया है चूंकि तथाकथित नामान्तकरण दिनांक 26.04.1995 को स्व0 देव्या, लक्ष्मीनारायण पिसरान रामप[illegible] निवासी हिन्दूपुरा तहसील बौंली द्वारा रामजीलाल मीना पुत्र श्री सुरज्ञान मीना निवासी हिन्दूपुरा हाल निवा[illegible] तहसील बौंली के नाम तस्दीक किया था उसमें विक्रेतागण ने आराजी [illegible] 854/1 [illegible] रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा बा01, ख0न0 1162/1 रकबा 3 [illegible] 1/4 जो कि हमारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:36:51 IST
Reason: SelfAttested

अति० जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

है में से 1 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम हिन्दूपुरा तहसील बौंली मय मेरकोर, डोल, डॉगर, पिलाई सहित नकद रूपया लेकर क्रेता श्री रामजीलाल पुत्र सुरज्ञान मीना निवासी हिन्दूपुरा हाल निवासी डिडवाडी तहसील बौंली को विक्रय कर दिया। जिसका नामान्तकरण हल्का पटवारी व हल्का गिरदावर द्वारा गलत 1/4 हिस्सा सम्पूर्ण का भरकर योग्य अदालत मातहत ने गलत रूप से तस्दीक करके अहम कानूनी भूल की है जिससे अपीलार्थी के हितो पर काफी विपरीत असर पडा है। अपीलान्ट व अपीलान्ट के सहोदर भाई स्व0 देवा (जो ना औलाद फोत हो चुका है) उसका वारिस मैं अपीलान्ट ही हूं और कोई दीगर व्यक्ति नहीं हैं यह कुवांरा ही फोत हुआ था उसकी सेवा सुश्रुषा दाह संस्कार, गंगा तर्पण, बारह ब्राहमण अपीलान्ट ने किये है कानूनन अपीलान्ट ही उसका उत्तराधिकारी है। अपीलान्ट व उसके स्व0 भाई देवा ने अपने हिस्से 1/4 हिस्से बंटवारा में से आराजी ख0.नं0 1161 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा व ख0नं0 1162 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा जिनके नवीन ख0नं0 1435 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा व ख0नं0 1436 रकबा 0.01, ख0नं0 1437 रकबा 0.88 बने है उसमें से मात्र 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि का विक्रय बेचान किया था। शेष रकबा हम दोनो भाईयों की खातेदारी कब्जे का है था और आगे भविष्य में भी रहेगी। तत्कालीन हल्का पटवारी एवं गिरदावर, तहसीलदार तहसील बौंली ने खिलाफ कानून बिना गौर किये ही 1/4 हिस्से का नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट के नाम खोलकर अहम कानूनी गलती की है इसलिए कानून तथाकथित नामान्तकरण कानून निरस्त किये जाने लायक है। अंत में वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर जैर अपील नामान्तकरण दिनांक 20.06.1997 निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट के नाम पुनः सही नागान्तकरण भरवाये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार द्वारा वकील अपीलार्थी द्वारा बहस में किये गये कथनो का खण्डन करते हुये बहस में तर्क दिया है कि तत्कालीन संबंधित हल्का पटवारी द्वारा नामान्तकरण भरे जाने पर एवं तत्कालीन संबंधित गिरदावर द्वारा नामान्तकरण की तुलना करने पर सही पाये जाने के उपरान्त ही तहसीलदार बौंली द्वारा विधि अनुसार ही नामान्तकरण तस्दीक किया है जोकि सही किया गया है। अन्त में पेरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी द्वारा पुनः बहस में निवेदन किया कि प्रकरण में तहसीलदार बौंली से संबंधित ख0नंबरान के संबंध में जबाव/टिप्पणी मंगवाई जावे जिससे प्रकरण में सत्यता जाहिर हो सकेगी। अपीलार्थी के तहसीलदार बौंली से जबाव/टिप्पणी मंगवाने पर पेरोकार सरकार को कोई आपत्ति नहीं होने पर तहसीलदार बौंली से प्रकरण में रिपोर्ट प्राप्त की गई। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार बौंली ने अवगत कराया है कि विक्रेता देवा, लक्ष्मीनारायण पि. रामपाल माली द्वारा जरिये पंजियन विक्रय पत्र दिनांक 26.04.1995 से ग्राम हिन्दूपुरा के साबिक ख0नं0 1161 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा, ख0नं0 1162/1 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा में से [illegible] 1/4 में से 1 बीघा 10 बिस्वा मय मेर, डॉल, डांगर पिलाई सहित क्रेता रामजीलाल पुत्र सुरज्ञान मीना निवासी [illegible] निवासी डिडवाडी को किया गया है। उक्त पंजियन विक्रय पत्र की पालना [illegible] दिनांक 20.06.1997 दर्ज किया गया जिसमें विक्रेता के हिस्सा 1/4 [illegible] भूमि 1 बीघा 10 बिस्वा का

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:36:51 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
[illegible] माधोपुर

क्रेता रामजीलाल पुत्र सुरज्ञान जाति मीना निवासी हिन्दुपुरा हाल निवासी डिडवाडी के नाम दर्ज नहीं किया जाकर विक्रेता का सम्पूर्ण हिस्सा 1/4 का नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया गया है।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने एवं अपीलाधीन पत्रावली तथा तहसीलदार बौंली से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि अपीलान्ट एवं उसके भाई देवा पि0 रामपाल माली ने आराजी खाता नम्बर 654/1 पुराने ख0नं0 1161 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा बा01, ख0नं0 1162/1 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा में से हिस्सा 1/4 जो कि उनका हिस्सा है, में से 1 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम हिन्दूपुरा तहसील बौंली मय मेरकोर, डोल, डॉगर, पिलाई सहित नकद रूपया लेकर क्रेता श्री रामजीलाल पुत्र सुरज्ञान मीना निवासी हिन्दूपुरा हाल निवासी डिडवाडी तहसील बौंली को विक्रय कर दिया। जिसका नामान्तकरण हल्का पटवारी व हल्का गिरदावर की गलती से 1/4 हिस्सा सम्पूर्ण का नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया गया है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार बौली की रिपोर्ट से भी होती है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य पायी जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार बौंली द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.06.1997 जिसके द्वारा नामान्तरकरण संख्या 926 स्वीकृत किया गया है, उक्त आदेश दिनांक 20.06.1997 को खारिज किया जाता है तथा पत्रावली तहसीलदार बौंली को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि तहसीलदार प्रकरण की नये सिरे जांच कर पुनः सही तरीके से नामान्तकरण भरने की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:36:51 IST
Reason: SelfAttested